कोर्ट विभाग

पीड़ितों (विक्टिम्स)
के लिए
कोर्ट सेवाएं

कोर्ट व्यवस्था के माध्यम से अपराधों से पीड़ित लोगों के लिए निःशुल्क, गोपनीय तथा व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध हैं।

सेवाएं उन लोगों को उपलब्ध हैं जो किसी अपराध के परिणाम स्वरूप ः

- शारीरिक चोट से पीड़ित हुए हों
- भावात्मक रूप से हानि के शिकार हुए हों
- सम्पत्ति के खोए जाने (या सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाए जाने) के शिकार हुए हों
- निकटतम परिवार के सदस्य की मृत्यु (या मानसिक असमर्थता) से पीड़ित हुए हों
- अपने वालक के अपनी सम्पत्ति के खोए जाने या नुकसान होने से पीड़ित हुए हों

अपराधों (के शिकार) से पीड़ित लोग प्रायः यह जानना चाहते हैं कि जिस केस में वे शामिल हैं उसके वारे में क्या हो रहा है। संभव है वे कोर्ट केस में उपस्थित होना चाहें, या यह जानना चाहें कि यदि उन्हें गवाह के रूप में उपस्थित होना पड़ा तो क्या अपेक्षा की जा सकती है।

पीड़ितों के लिए सलाहकार (Victim Adviser)

पीड़ित सलाहकार विशेषज्ञ कर्मचारी हैं जिन्हें कोर्ट द्वारा पीड़ितों की सहायता के लिए नौकरी पर लगाया जाता है। कुल मिलाकर उनका काम है कि ः

- पीड़ित लोगों को उनके सम्वन्धित केस के वारे में जानकारी प्रदान करना
- कोर्ट की कार्यवाही में पीड़ितों को उनके अधिकारों के वारे में सलाह देना
- कोर्ट की व्यवस्था में भाग लेने में पीड़ितों की सहायता करना

विक्टिम सलाहकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं पूरी तरह से गोपनीय हैं।

अपराधों से पीड़ित लोग कोर्ट के अफसरों, पुलिस तथा उनके केस में सम्मिलित अन्य सभी लोगों से शिष्ट, संवेदनाशील तथा आदरपूर्ण सेवाओं के अधिकारी हैं।

पीड़ित अधिकार अधिनियम 2002 (Victims' Rights Act 2002)

पीड़ित अधिकार अधिनियम 2002 के अन्तर्गत पीड़ितों को उनसे सम्वन्धित कोर्ट केस की प्रगति के वारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों/मामलों में पीड़ितों को नाम प्रतिवन्ध या गोपन (नेम सप्रेशन), जमानत, नज़रवन्दी या पैरोल के वारे में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।

यदि आप कोर्ट केस में शामिल पीड़ित व्यक्ति हैं तो आपका विक्टिम सलाहकार आपकोः

- आपके केस में होने वाली प्रगति के बारे में जानकारी देगा/देगी
- कोर्ट व्यवस्था/सिस्टम कैसे काम करता है इस बारे में स्पष्ट करेगा/करेगी
- आपको यदि इसके बारे में कोई चिन्ता है तो इसकी जानकारी पुलिस तथा आपके केस से सम्बन्धित अन्य लोगों को देगा/देगी
- जमानत (बेल) की यदि कोई शर्तें हों तो उनके बारे में स्पष्ट करेगा/करेगी
- केस के बारे में कोर्ट को अपने विचारों को बताने में आपकी सहायता करेगा/करेगी
- पीड़ित अधिकार अधिनियम 2002 (विक्टिम्स राइट्स एक्ट 2002) के अन्तर्गत आपके अधिकारों को स्पष्ट करेगा/करेगी
- यदि आप गवाह बनने जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी देगा/देगी
- युवा गवाहों को कोर्ट व्यवस्था/सिस्टम तथा इसमें उनकी भूमिका के बारे में शिक्षा देगा/देगा
- यौन-दुर्व्यवहार या बलात्कार के शिकार लोगों को कोर्ट में गवाही देने के लिए उन्हें उपलब्ध विशेष सुविधाओं/शर्तों के बारे में सलाह देगा/देगी
- [आपके साथ]जो कुछ हुआ है उसके कारण यदि आप अपनी (या अपने परिवार की) सुरक्षा के बारे में चिन्तित हैं तो आपको उपलब्ध सुरक्षा के बारे में जानकारी देगा/देगी
- यदि केस में आपकी किसी सम्पत्ति को सबूत के तौर पर प्रयोग किया जाता है तो उसे शीघ्र ही वापिस दिलाने में सहायता करेगा/करेगी
- अपराधी के जेल से पैरोल पर, होम डिटेन्शॅन या मानसिक संस्थान से रिहा होने की दशा में आपको इसके बारे में कैसे सूचित किया जाएगा उसे स्पष्ट करेगा/करेगी
- आपकी सहायता के लिए आपको उपलब्ध अन्य सेवाओं जैसे कि काउंसिलिंग सेवाएं, कल्याण (वेलफेयर) तथा दुर्घटना क्षतिपूर्ति के बारे में जानकारी देगा/देगी
- कोर्ट में आपका पीड़ित पर होने वाले प्रभाव का बयान (Victim Impact Statement) कैसे पेश किया जा सकता है इसके बारे में सलाह देगा/देगी

पीड़ित सलाहकार (विक्टिम एडवाइज़र) से सम्पर्क

आप विक्टिम एडवाइज़र से फोन द्वारा या अपने स्थानीय कोर्ट में जाकर सम्पर्क कर सकते हैं। टेलिफोन नम्बर आपकी स्थानीय टेलिफोन पुस्तक के नीले पन्नों में "Courts- Department for" के अन्तर्गत दिया गया है। पीड़ितों के लिए कोर्ट की सेवाएं निःशुल्क तथा गोपनीय हैं।

कोर्ट में पीड़ित पर होने वाले प्रभाव का बयान (विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट)

पीड़ित को यह अधिकार है कि वह जज को उस अपराध के द्वारा अपने पर हुए प्रभाव के बारे में बता सके। इसे विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट (Victim Impact Statement) (VIS), कहा जाता है तथा जज द्वारा अपराधी को सज़ा देते समय इसे ध्यान में रखा जाता है। पुलिस इसे तैयार करने के लिए आपसे विचार-विमर्श करेगी।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट को कोर्ट में प्रायः लिखित रूप में पेश किया जाता है। **यदि आप कि विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट को ऊँचे स्वर से पढ़ना चाहते हैं तो आप विक्टिम एडवाइज़र को जितना जल्दी हो सके इस बारे में सूचित करें।** ऐसा करने से कोर्ट को आपके लिए इसका इन्तज़ाम करने का समय मिल सकेगा। (ध्यान रखें कि आप केवल अपने पहले से लिखे विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट को ही पढ़ सकते हैं। आप कोई और टिप्पणी नहीं कर सकते।)

यदि आप स्वयं अपने VIS (विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट) को कोर्ट में ऊँचे स्वर से नहीं पढ़ना चाहते तो आप ः

- किसी अन्य व्यक्ति (जैसे कि मित्र या सहायक) से अपने VIS को पढ़ने के लिए कह सकते हैं; या
- अपने VIS को ऑडियो टेप पर या वीडियो टेप पर रिकार्ड करके कोर्ट में चलाने के लिए कह सकते हैं।

यदि आप किसी अपराध के शिकार हैं तथा आपको सहायता चाहिए, तो कृपया अपने स्थानीय कोर्ट में विक्टिम एडवाज़र से सम्पर्क करें। यदि आपको ज़रूरत हो तो आपके लिए दुभाषिए का प्रबन्ध किया जा सकता है। कोर्ट की सेवाएं पीड़ितों के लिए निःशुल्क तथा गोपनीय हैं।

पीड़ित लोग कोर्ट के अफसरों, पुलिस तथा उनके केस में सम्मिलित अन्य सभी लोगों से शिष्ट, संवेदनाशील तथा आदरपूर्ण सेवाओं के अधिकारी हैं।

पीड़ितों के लिए कोर्ट सेवाओं के वारे में अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय कोर्ट से सम्पर्क करें। टेलिफोन नम्वर आपकी स्थानीय टेलिफोन पुस्तक के नीले पन्नों में "Courts- Department for" के अन्तर्गत दिया गया है।

यह पुस्तिका www.courts.govt.nz से विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है।

कोर्ट्स 050
जनवरी 2003